[2022] 6 एस. सी. आर 948

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 6 एस सी आर।

ए.

भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण

वी.

ट्रांसस्ट्रॉय (इंडिया) लिमिटेड (2021 की सिविल अपील संख्या 6732)

बी.

11 जुलाई, 2022

[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:धारा 23 (2 ए)-दावा और बचाव के विवरण-अपीलार्थी (एनएचएआई) और प्रत्यर्थी कंपनी के बीच अनुबंध-मध्यस्थ को संदर्भित पक्षों के बीच विवाद-आवेदन यू/एस।23(2 क) अपीलार्थी द्वारा उन्हें अपने जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति देने के लिए-न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा भी-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःजब काउंटर क्लेम-सेट ऑफ दाखिल करने का प्रावधान होता है, जिसे एस में स्पष्ट रूप से डाला जाता है।23, जवाबी दावा करने या रद्द करने के लिए अपीलार्थी के अधिकार को कम करने का कोई कारण नहीं था-यदि अपीलार्थी द्वारा किए गए जवाबी दावे को प्रत्यर्थी द्वारा किए गए दावों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही में अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह विभिन्न मंचों के समक्ष समानांतर कार्यवाही का कारण बन सकता है-यह जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगा। 23(2 ए)-इसके अलावा, अपीलार्थी ने हर्जाने का दावा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा और यहां तक कि बचाव के बयान में भी रुपये के इस तरह के सेट ऑफ का दावा किया। 23 करोड़-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अनुबंध के खंड 26 की संकीर्ण व्याख्या पर आवेदन को अस्वीकार करने में गलती की-मध्यस्थ न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** ठेकेदार के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि जवाबी दावा अनुबंध समझौते के खंड **26.1** और **26.2** में आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया था और इसलिए, इसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है।खंड **26** की सही और निष्पक्ष व्याख्या पर, विवाद को हल करने में विफलता **(**वर्तमान मामले में, एनएचएआई द्वारा अनुबंध की समाप्ति**)**, मध्यस्थता कार्यवाही बनाए रखने योग्य होगी।इसका मतलब यह नहीं है कि केवल ठेकेदार की ओर से किए जाने वाले दावे और/या जवाबी दावे पर ही विचार किया जाएगा। **[**पैरा **13] [966-**डी**-**ई**]**

जी.

एच.

948 ए.

949

भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण बनाम ट्रांसस्ट्रॉय (भारत) लिमिटेड ए

1.2 मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों "दावा", जो एक पक्ष द्वारा किया जा सकता है और "विवाद", जिसकी परिभाषा के अनुसार दो पक्ष हैं, के बीच के अंतर को समझने में विफल रहे हैं।**[**पैरा **13.1] [966-**ई**-**एफ**]**

1.3 यहां तक कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने भी काउंटर दावा दायर करने के लिए समय बढ़ाने के लिए एनएचएआई के आवेदन को खारिज करते हुए काउंटर दावा दायर करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन को इस आधार पर नहीं देखा और/या खारिज कर दिया कि उक्त काउंटर दावा अनुबंध समझौते के खंड **26** के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना बनाए रखने योग्य नहीं होगा।**[**पैरा **13.2] [966-**जी**]**

बी.

सी.

1.4 जब एन. एच. ए. आई. ने मध्यस्थता अधिनियम, **1996** की धारा **23** की उप-धारा **(2** ए**)** के तहत अपने जवाबी दावे को रिकॉर्ड में रखने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने उक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एन. एच. ए. आई. को जवाबी दावे को रिकॉर्ड में रखने की अनुमति देने के लिए आवेदन में, एन. एच. ए. आई. ने इस तरह के सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए प्रयास करने के बारे में कुछ नहीं कहा।हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि शुरुआत से ही, एनएचएआई ने नुकसान का दावा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा और यहां तक कि

रक्षा वक्तव्य में भी रुपये के इस तरह के सेट ऑफ का दावा किया गया। **13** करोड़ और इसमें यह भी विशेष रूप से कहा गया है कि एनएचएआई ने जवाबी दावा दायर करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है।इसलिए, जिन आधारों पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने काउंटर क्लेम को रिकॉर्ड पर रखने के लिए एनएचएआई के आवेदन को खारिज कर दिया, उसे पहले सुलह के माध्यम से विवाद (जो एनएचएआई द्वारा अनुबंध को समाप्त करने के लिए था) को हल करने के लिए पक्षों के बीच के इरादे के विपरीत कहा जा सकता है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस तरह की संकीर्ण व्याख्या द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एनएचएआई के जवाबी दावा प्रस्तुत करने के मूल्यवान अधिकार को छीन लिया है, जो कि बहुत बड़ी राशि है, जिससे एनएचएआई के वैधानिक और संविदात्मक अधिकारों पर बातचीत होती है और एक टुकड़ों में और असंबद्ध निर्णय के लिए मार्ग प्रशस्त होता है।[पैरा **13.3] [968-**एफ-एच; **969-**ए-सी]

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.5 जब जवाबी दावा दायर करने का प्रावधान है, जिसे मध्यस्थता अधिनियम, **1996** की धारा **23** में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है, तो जवाबी दावा करने या रद्द करने के लिए अपीलार्थी के अधिकार को कम करने का कोई कारण नहीं है।अगर काउंटर

एच.

ठेकेदार द्वारा किए गए दावों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही में एनएचएआई द्वारा किए गए दावे की अनुमति नहीं है, इससे विभिन्न मंचों के समक्ष समानांतर कार्यवाही हो सकती है। विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने उक्त पहलू को नजरअंदाज कर दिया, जिसे एनएचएआई की ओर से अपने जवाबी दावे को दर्ज करने के अनुरोध पर विचार करते हुए अनुचित माना जाना चाहिए था।खंड **26.1** और **26.2** की व्याख्या व्यावहारिक और व्यावहारिक तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए आवश्यक है कि पक्षकारों को पहले समझौता करने, समाधान करने और सुलह का प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जब खंड **26.1** और **26.2** के तहत प्रक्रिया वांछित परिणाम देने में विफल रहती है, तो खंड **26.2** में निर्दिष्ट अवधि के भीतर समझौते के रूप में, विवाद को खंड **26.3** के संदर्भ में मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जा सकता है।एक बार खंड **26.1** के तहत किसी भी विवाद, मतभेद या विवाद को अधिसूचित किए जाने के बाद,

जवाबी दावे/स्थगन सहित पूरा विषय मध्यस्थता का विषय बन जाएगा "कोई भी विवाद जो खंड **26.1** और **26.2** में हल नहीं किया गया है।**[**पैरा **13.4] [969-**सी**-**एफ**]**

बी.

सी.

डी.

1.6 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एनएचएआई की ओर से शुरू में काउंटर दावा दायर करने और/या उसके बाद धारा **23 (2** ए**)** के तहत आवेदन दायर करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करने में कोई देरी नहीं हुई थी**,** जो इसे काउंटर दावा रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति देता है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में**,** एनएचएआई को काउंटर दावा दायर करने की अनुमति नहीं देने से मध्यस्थता अधिनियम**, 1996** की धारा **23 (2** ए**)** के तहत प्रदान किए गए काउंटर दावा/सेट ऑफ दायर करने की अनुमति देने के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा।उक्त पहलुओं की सराहना किए बिना**,** उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा**,** और खंड **26** की संकीर्ण व्याख्या पर मध्यस्थता अधिनियम**, 1996** की धारा **1** के तहत आवेदन को खारिज करने और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा एनएचएआई को जवाबी दावा दायर करने की अनुमति नहीं देने में पारित आदेश की पुष्टि करने में गंभीर गलती की।उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि एन**.** एच**.** ए**.** आई**.** को जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने से कार्यवाही की बहुलता से बचा जा सकता है।**[**पैरा **13.5] [969-**जी**-**एच**; 970-**ए**-**बी**]**

ई.

एफ.

जी.

1.7 मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है।नतीजतन**,** एनएचएआई द्वारा काउंटर दावा दायर करने की अनुमति देने के लिए प्रस्तुत आवेदन को अनुमति दी जाती है और एनएचएआई को काउंटर दावा दायर करने की अनुमति दी जाती है**,** जिसे मध्यस्थ ए

एच.

न्यायाधिकरण ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दावे के विवरण और एनएचएआई द्वारा अपने गुण**-**दोष पर प्रस्तुत दावे के बचाव के विवरण के साथ विचार करेगा।**[**पैरा **14] [970-**बी**-**डी**]**

गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड

वी.पी. आर. मांकड़ और अन्य। (1979) 3 एससीसी 123:[1979] 2

एस**.** सी**.** आर**. 1023** मेजर **(**सेवानिवृत्त**)** इंदर सिंह रेखी बनाम दिल्ली

बी.

विकास प्राधिकरण (1988) 2 एससीसी 338:[1988] 3

एस**.** सी**.** आर**. 351;** गोवा राज्य बनाम प्रवीण उद्यम**, (2012)**

12 एससीसी 581:[2011] 10 एससीआर 1026; भारत पेट्रोलियम

निगम लिमिटेड बनाम गो एयरलाइंस **(**इंडिया**)** लिमिटेड **(2019) 10** एससीसी **250;** शिल्पी इंडस्ट्रीज आदि।केरल राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्र। **(2021)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 439;** कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण बनाम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**, (2017)**

सी.

एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 18978; एम. के. शाह इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1999) 2 एससीसी 594:[1999]

1 एस**.** सी**.** आर**. 419;** निर्माण सिंधिया बनाम इंडल इलेक्ट्रोमेल्ट्स लिमिटेड**,**

डी.

कोयंबटूर (1999) एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 149।मामला कानून संदर्भ

[1979] 2 पैरा **4.2 [1988] 3** एस**.** सी**.** आर**. 351** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 1023**

पैरा **4.2 [2011] 10** एस**.** सी**.** आर**. 1026** पैरा **4.8 (2019) 10** एस**.** सी**.** सी**. 250** पैरा **4.8 [1999] 1** एस**.** सी**.** आर**. 419**

ई.

पैरा **5.5** में संदर्भित

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2021 की सिविल अपील संख्या 6732।

एफ.

ओ. एम. पी. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 27.02.2018 के निर्णय और आदेश से। 2017 का (COMM) No.459।

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., सी. एस. चौहान, ए. वेनायगम बालन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

जी.

नकुल दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री नीलू मोहन, सुश्री कविता झा, सुरेख बैक्सी, पराग राय, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

952

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 6 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. 2017 के ओ. एम. पी. No.459 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत उक्त याचिका को खारिज कर दिया है (जिसे इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम, 1996" के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसमें अपीलकर्ता-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "एन. एच. ए. आई". के रूप में संदर्भित किया गया है) ने दिनांकित 15.09.2017 के मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करने का अनुरोध किया और साथ ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को भी एन. एच. ए. आई. द्वारा दायर जवाबी दावे पर विचार नहीं करने और/या विचार नहीं करने के लिए, मूल याचिकाकर्ता-एन. एच. ए. आई. ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

सी.

2. वर्तमान अपील और अपीलार्थी-एन. एच. ए. आई. की ओर से मामले की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:-

2.1 कि एनएचएआई और प्रत्यर्थी ने एक अनुबंध किया।एक इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ई. पी. सी.) समझौता (जिसे इसके बाद "अनुबंध" के रूप में संदर्भित किया गया है) पक्षों के बीच 13.11.2014 पर "किमी से पक्की कंधों के साथ दो लेन के सुधार/वृद्धि" के संबंध में निष्पादित किया गया था।94/000 किमी तक।174/000 (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 के कराईकुडी-रामनाथपुरम खंड के km.94/000 से km.174/000 तक डिजाइन श्रृंखला

जिसमें तमिलनाडु राज्य में एसएच-35 मदुरै रोड (देवकोट्टई रास्ता रेलवे स्टेशन के पास) पर 500 मीटर शामिल है, एनएचडीपी चरण-III के तहत ईपीसी मोड (कुल डिजाइन लंबाई 80.00kms) पर।2.2 एनएचएआई के अनुसार, प्रत्यर्थी/ठेकेदार अनुबंध के तहत विशिष्ट दायित्वों का लगातार उल्लंघन कर रहा था, जिसके लिए एनएचएआई द्वारा खंड 23.1 के तहत उपचार अवधि का नोटिस जारी किया गया था।1 29.09.2015 पर वापस अनुबंध के ठेकेदार को 60 दिनों के भीतर चूक को ठीक करने के लिए बुलाना।ठेकेदार एन. एच. ए. आई. द्वारा बताए गए दोषों को ठीक करने में विफल रहा, इस प्रकार, एन. एच. ए. आई. द्वारा खंड 23.1 के तहत 12.04.2016 पर अनुबंध को समाप्त करने के इरादे की सूचना जारी की गई थी।2.प्रत्यर्थी/ठेकेदार ने अनुबंध को समाप्त करने के लिए एनएचएआई के इरादे के नोटिस को अपना जवाब दिनांक 14.04.2016 भेजा।जवाब को पूरी तरह से असंतोषजनक पाते हुए, एनएचएआई ने खंड 23.1 के तहत दिनांक 22.07.2016 पर एक समाप्ति नोटिस जारी किया।2 अनुबंध से।अपीलकर्ता-एन. एच. ए. आई. की ओर से यह मामला है कि एन. एच. ए. आई. ने विशेष रूप से समाप्ति नोटिस में कहा है कि "ए. का पालन करने में ठेकेदार की विफलता के लिए हर्जाने का दावा करने के प्राधिकरण के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

953

भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण बनाम ट्रांसस्ट्रॉय (भारत) लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

अनुबंध के तहत उस पर लगाए गए स्पष्ट दायित्व और/या अनुबंध के तहत या लागू कानूनों के तहत, जो भी मामला हो, किसी भी बकाया, नुकसान और नुकसान का एहसास करना।

2.3 समाप्ति सूचना की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी/ठेकेदार ने अनुबंध के खंड 26.2 के तहत सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए कुछ विवादों को संदर्भित करने के लिए एनएचएआई को 02.01.2017 पर एक पत्र लिखा।इसके बाद, ठेकेदार ने दिनांक 1 के पत्र के माध्यम से मध्यस्थता खंड (अनुबंध का खंड 26) लागू किया और अपने मध्यस्थ को नामित किया और एनएचएआई से अपने मध्यस्थ को नामित करने का अनुरोध किया ताकि पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सके।एनएचएआई ने अपने मध्यस्थ को दिनांकित 10.03.2017 पत्र

द्वारा नामित किया, जिसके बाद पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति की गई।तदनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया।ठेकेदार ने 15.05.2017 पर दावे का विवरण दाखिल किया।एन. एच. ए. आई. ने 11.07.2017 पर अपना बचाव का बयान दाखिल किया।एन. एच. ए. आई. की ओर से यह मामला है कि समाप्ति सूचना दिनांक 22.07.2016 के साथ-साथ रक्षा विवरण दिनांक 11.07.2017 दोनों में, एन. एच. ए. आई. ने हर्जाने का दावा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा और कहा कि वह अपना जवाबी दावा अलग से दायर करेगा।

बी.

सी.

डी.

2.4 एन. एच. ए. आई. द्वारा रक्षा विवरण दाखिल करने के दो दिन बाद, एन. एच. ए. आई. ने काउंटर दावा दायर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एक पत्र भेजा।18.07.2017 दिनांकित ईमेल के माध्यम से मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने काउंटर दावा दायर करने के लिए समय बढ़ाने के एनएचएआई के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि काउंटर दावा दायर करने के लिए एनएचएआई द्वारा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है।ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद एनएचएआई ने अपने जवाबी दावे को रिकॉर्ड में रखने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 23 (2 ए) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया।ऐसा प्रतीत होता है कि उसी दिन, एनएचएआई ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अपना जवाबी दावा दायर किया।मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एनएचएआई के आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उसे दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी गई थी, अनिवार्य रूप से इस आधार पर कि एनएचएआई द्वारा खंड 26.1 और 26.2 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और इसलिए, जवाबी दावा मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर था और उक्त विवाद का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

2.5 एन. एच. ए. आई. द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 15.09.2017 द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसमें काउंटर दावे को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति मांगी गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि काउंटर दावे में एन. एच. ए. आई. द्वारा उठाया गया विवाद नहीं है।

एच.

मध्यस्थता समझौते के दायरे में और यह कि दायर किया जाने वाला विवाद संविदात्मक रूप से मध्यस्थता योग्य नहीं है और उक्त विवाद का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, एनएचएआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपील को प्राथमिकता दी।

2.6 उच्च न्यायालय के समक्ष, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन की रखरखाव पर ठेकेदार की ओर से एक आपत्ति उठाई गई थी।हालांकि, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 16 (2) के तहत पारित दिनांक 1 के आदेश को मानते हुए, उच्च न्यायालय ने जवाबी दावे की स्वीकार्यता पर निर्णय लेते हुए मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 (2) के तहत अपने समक्ष की कार्यवाही को एक माना है और उसके बाद गुण-दोष के आधार पर इसका फैसला किया है।

बी.

सी.

2.7 विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया है और एनएचएआई द्वारा काउंटर दावे को रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज करते हुए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 15.09.2017 द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है।

डी.

2.8 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, एनएचएआई ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी., एन. एच. ए. आई. की ओर से पेश हुईं और श्री नकुल दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रत्यर्थी-ठेकेदार की ओर से पेश हुए।

ई.

4. एनएचएआई की ओर से पेश हुई सुश्री माधवी दीवान, विद्वान एएसजी ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने में एक गंभीर/गंभीर त्रुटि की है जो एनएचएआई द्वारा दायर जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर नहीं ले रहा है।

एफ.

4.1 सुश्री दीवान द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों इस बात की सराहना करने में विफल रहे हैं कि जवाबी दावा कार्रवाई के सामान्य/अतिव्यापी कारण पर आधारित था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि ठेकेदार द्वारा लागू मध्यस्थता एनएचएआई द्वारा जारी किए गए समाप्ति नोटिस से उत्पन्न हुई थी। इसलिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष ठेकेदार के मामले का आधार इस तरह की समाप्ति की वैधता है।इसलिए, पक्षों के बीच विवाद को विभाजित करने की कोशिश करने का कोई सवाल ही नहीं था।इससे कार्यवाही की अनावश्यक बहुलता और अनावश्यक लागत बढ़ेगी और ए

जी.

एच.

955

भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण बनाम ट्रांसस्ट्रॉय (भारत) लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

असुविधा तब होती है जब साक्ष्य भी सामान्य होता है क्योंकि विवाद उसी लेन-देन से उत्पन्न होता है।

4.2 सुश्री दीवान, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार खंड 26 को किसी भी पक्ष द्वारा लागू किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुबंध का खंड 26 स्व-व्याख्यात्मक है, जहां यह 'किसी भी विवाद', मतभेद या विवाद को खंड 26.2 के तहत सुलह प्रक्रिया के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करने के लिए आवश्यक है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रावधान के लिए किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप में सूचित किए जाने की आवश्यकता होती है।इसी तरह, खंड 26.2 में कहा गया है कि कोई भी पक्ष प्राधिकरण के अभियंता या ऐसे अन्य व्यक्ति को मध्यस्थता करने और एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी पक्ष को खंड 26.1 का आह्वान करने की अनुमति देने के पीछे का कारण और तर्क यह है कि इसकी परिभाषा के अनुसार 'विवाद' दो तरफा है।'विवाद' शब्द की व्याख्या पर, गुजरात राज्य सहकारी के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया जाता है।

बी.

सी.

भूमि विकास बैंक लिमिटेड बनाम पी. आर. मांकड़ और अन्य **(1979) 3** एस. सी. सी. **123 (**पैरा **22)** और मेजर **(**सेवानिवृत्त**)** इंदर सिंह रेखी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण**, (1988) 2** एस. सी. सी**. 338 (**पैरा **4)**।

डी.

4.3 उपरोक्त दो निर्णयों पर भरोसा करते हुए, सुश्री माधवी दीवान द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, "विवाद" शब्द का उपयोग ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने दिनांकित 02.01.2017 के नोटिस के साथ-साथ अपने दिनांकित 09.02.2017 के पत्र में किया गया है, जिसमें ठेकेदार ने स्वयं समाप्ति नोटिस को एक एकतरफा निर्णय के रूप में संदर्भित किया था, जिससे एक "विवाद" उत्पन्न हुआ है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार, वर्तमान मामले में विवाद एनएचएआई द्वारा जारी दिनांक 22.07.2016 समाप्ति नोटिस के संबंध में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, "विवाद" की व्याख्या करना प्रक्रिया का उपहास होगा क्योंकि यह केवल ठेकेदार की ओर से किए गए दावे को खंड 26 के तहत विचार की गई प्रक्रिया में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय 'दावा' अभिव्यक्ति के बीच के अंतर को समझने में विफल रहे हैं जो एक पक्ष द्वारा किया जा सकता है और 'विवाद' जिसकी परिभाषा के अनुसार दो पक्ष हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 26 की भाषा स्वयं इस बात पर विचार करती है कि विवाद का "कोई भी पक्ष" इस प्रक्रिया को लागू कर सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उसी प्रक्रिया के दोहराव का कोई सवाल नहीं हो सकता है जिसे पहले से लागू किया गया है और अंततः मध्यस्थता प्रक्रिया में समाप्त हो गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 26 के तहत दूसरा दौर किसी भी स्थिति में व्यर्थता में एक अभ्यास होगा क्योंकि उसी मुद्दे को उठाया गया होगा

ई.

एफ.

जी.

एच.

क्या अनुबंध की समाप्ति विधिसम्मत थी या नहीं, जो मुद्दा तब तक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष पहले से ही लंबित था।

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि यह एनएचएआई ही था जिसे ठेकेदार को दोषों को ठीक करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद अनुबंध को समाप्त करने के लिए मजबूर किया गया था।एनएचएआई ने विशेष रूप से समाप्ति सूचना में नुकसान का दावा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा जो ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों का पालन करने में विफलता के लिए समाप्ति का एक स्वाभाविक परिणाम है।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि ठेकेदार की ओर से यह तर्क कि जवाबी दावा आश्चर्यजनक रूप से या जवाबी विस्फोट के माध्यम से किया गया था, को खारिज कर दिया जाए।

बी.

सी.

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह भी नहीं कहा जा सकता है कि एनएचएआई ने जवाबी दावा प्रस्तुत करके उस प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया है जिस पर पक्षों ने सहमति व्यक्त की थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रक्रिया को दरकिनार करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है जब वर्तमान मामले में वह चरण पहले ही बीत चुका हो।यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 26 एक ही प्रक्रिया के बार-बार आह्वान पर विचार नहीं करता है जब कार्रवाई का एक अतिव्यापी कारण होता है और प्रक्रिया की पुनरावृत्ति पूरी तरह से अर्थहीन होगी।

डी.

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून की तय स्थिति के अनुसार, नियम या प्रक्रियाएं न्याय की मालकिन नहीं, बल्कि नौकरानी होती हैं।प्रक्रियात्मक प्रावधानों की व्याख्या अति-तकनीकी तरीके से मध्यस्थता अधिनियम की मूल भावना के विपरीत पक्षों के समय और संसाधनों को बर्बाद करने के लिए नहीं की जा सकती है।

ई.

4.7 सुश्री दीवान, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में एन. एच. ए. आई., मध्यस्थ न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा दायर जवाबी दावे को रिकॉर्ड में नहीं लेने पर दोनों ने धारा 23 (2 ए) के उद्देश्य और उद्देश्य को नजरअंदाज कर दिया है, जिसका उद्देश्य पक्षकारों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अपने दावे/जवाबी दावे आदि की संपूर्णता को दाखिल करने में सक्षम होने में सुविधा प्रदान करना है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय के लिए जवाबी दावे को बाहर करने का कोई कारण नहीं था, जिसे एनएचएआई द्वारा अपने बचाव का बयान दाखिल करने के दो दिनों के भीतर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष दायर करने की मांग की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 23 को भारत के विधि आयोग की अपनी रिपोर्ट संख्या 246 में की गई सिफारिश के अनुसार संशोधित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

प्रत्यर्थी द्वारा एक अलग/नए संदर्भ की मांग किए बिना एक मध्यस्थ द्वारा जवाबी दावों और स्थगन पर निर्णय लिया जा सके, जब तक कि यह मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है।

एफ.

जी.

एच.

957

भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण बनाम ट्रांसस्ट्रॉय (भारत) लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

पक्षों के बीच विवादों का अंतिम समाधान सुनिश्चित करने और मुकदमेबाजी की बहुलता को रोकने के लिए।

4.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और निर्णयों पर भरोसा करना

यह न्यायालय गोवा राज्य बनाम प्रवीण एंटरप्राइजेज**, (2012) 12** एस**.** सी**.** सी**. 581;** भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम गो एयरलाइंस **(**इंडिया**)** लिमिटेड**, (2019) 10** एस**.** सी**.** सी**. 250;** शिल्पी इंडस्ट्रीज आदि के मामले में है। बनाम केरल राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य**, 2021** एस**.** सी**.** सी**.**

बी.

ऑनलाइन एससी **439** और मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय

कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण बनाम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन काल 18978 (जिसके विरुद्ध

2018 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 18443-18444 दायर की गई थी और इन्हें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था), यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एनएचएआई द्वारा दायर जवाबी दावे को रिकॉर्ड में लेने और कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

सी.

5. प्रत्यर्थी-ठेकेदार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नकुल दीवान ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

डी.

5.1 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नकुल दीवान-ठेकेदार ने वर्तमान अपील को खारिज करने के लिए अपनी प्रार्थना के समर्थन में निम्नलिखित व्यापक प्रस्तुतियाँ की हैं।उन्होंने निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:-

ई.

(i) ई. पी. सी. अनुबंध के खंड 26 में अनिवार्य रूप से पक्षकारों से मध्यस्थता के आह्वान की पूर्व शर्त के रूप में विवादों (संदर्भ से पहले पहचाने गए और स्पष्ट किए गए) को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करने की आवश्यकता थी।अपीलार्थी-एन. एच. ए. आई. ने अपने जवाबी दावे के संबंध में ऐसा नहीं किया है।((ii) "विवाद" शब्द खंड 26.1 में परिभाषित और निर्धारित किया गया है।1. इसका कड़ाई से अर्थ उन विवादों से लगाया जाना चाहिए जिन्हें किसी भी पक्ष द्वारा पहचाना गया था और जिन्हें खंड 26.1 के तहत सुलह के लिए भेजा गया था।1 खंड 26.2 के साथ पढ़ें।अपीलार्थी-एन. एच. ए. आई. द्वारा अपने जवाबी दावे के लिए ऐसी कोई पहचान नहीं की गई थी, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपीलार्थी-एन. एच. ए. आई. द्वारा नहीं उठाया जा सकता है।

एफ.

जी.

(iii) अधिकारों का मात्र आरक्षण किसी भी पक्ष को ई. पी. सी. अनुबंध के खंड 26 के तहत संविदात्मक रूप से सहमत तंत्र को दरकिनार करने का अधिकार नहीं देगा।

एच.

(iv) अधिनियम की धारा 23 (2 ए) पक्षकारों के समझौते के साथ असंगत तरीके से जवाबी दावा करने की अनुमति नहीं देती है।

5.2 उपरोक्त प्रस्तुतियों को विस्तार से बताते हुए, प्रत्यर्थी-ठेकेदार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नकुल दीवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ईपीसी अनुबंध का खंड 26 स्पष्ट और स्पष्ट है।यह मध्यस्थता प्रक्रिया के आह्वान से पहले दो-चरणीय प्रक्रिया निर्धारित करता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि ई. पी. सी. अनुबंध खंड 26 में निर्धारित कदमों को देखे बिना सीधे मध्यस्थता का सहारा लेकर पक्षकारों द्वारा सीधे दावे करने पर विचार नहीं करता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि चरण 1 को "विवादों की अधिसूचना" कहा जा सकता है।यदि पक्षों के बीच कोई "विवाद, मतभेद या विवाद" उत्पन्न हुआ है, तो

इसे दूसरे पक्ष को "लिखित रूप में सूचित" करना होगा।यह अधिसूचना किसी भी पक्ष द्वारा की जा सकती है जिसका कोई विवाद है।इस तरह की अधिसूचना तब खंड 26.1 के तहत परिभाषित और विचार किए गए "विवाद" को जन्म देती है।1 ईपीसी अनुबंध का

बी.

सी.

डी.

5.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि चरण 2 "सौहार्दपूर्ण समाधान द्वारा समाधान" के संबंध में है।चरण 2 के तहत, पक्षों को खंड 26.2 में निर्धारित सुलह प्रक्रिया के अनुसार "विवाद" को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करना आवश्यक है।सुलह की अनिवार्य आवश्यकता खंड 26.1 में "होगा" शब्द के उपयोग से स्पष्ट होती है।1.यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 26.2 के अनुसार, विवाद की मध्यस्थता एनएचएआई के इंजीनियर या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो पारस्परिक रूप से तय किए गए हैं, जिसे ईपीसी अनुबंध के तहत सुलहकर्ता कहा जाता है।इस तरह की मध्यस्थता में विफल रहने पर या सुलहकर्ता के हस्तक्षेप के बिना, कोई भी पक्ष खंड 26.2 में निर्धारित समयबद्ध प्रक्रिया का पालन करते हुए सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विवाद को एनएचएआई के अध्यक्ष के पास भेज सकता है।

ई.

एफ.

5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि चरण 3 "मध्यस्थता का आह्वान" है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में विफलता पर ही विवाद को खंड 26.1 के तहत अधिसूचित किया जाता है।1. इसके बाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है। खंड 26.3।1 स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि कोई भी विवाद, जिसे खंड 26.1 और खंड 26.2 के तहत सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं किया गया है, अंततः मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल वे विवाद जो अकेले कदम 1,2 और 3 के बाद हल नहीं होते हैं, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद का विषय हो सकते हैं।

जी.

5.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी व्याख्या जो पक्षों को ई**.** पी**.** सी**.** अनुबंध में निर्धारित तंत्र को दरकिनार करने की अनुमति देती है**,** जब तक कि माफ नहीं किया जाता है**,** ए

एच.

यह अनुबंध के पुनर्लेखन के बराबर होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि एम. के. शाह के मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है।

इंजीनियर और ठेकेदार बनाम मध्य प्रदेश राज्य। (1999) 2 एससीसी 594, ए

पूर्व-मध्यस्थ आवश्यकता मध्यस्थता खंड का एक आवश्यक पहलू है।रिलायंस को केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भी रखा गया है

निर्माण सिंधिया बनाम इंडल इलेक्ट्रोमेल्ट्स लिमिटेड, कोयंबटूर 1999 का मामला

बी.

एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 149.यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में, केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि "जब किसी अनुबंध के पक्ष समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए किसी विशेष तरीके से सहमत होते हैं और वे समझौते के तहत निर्धारित तरीके का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं।समझौते में विवाद के समाधान के लिए दिए गए पहले कदम का सहारा लिए बिना वे पक्षों के बीच विवादों को निपटाने के लिए दूसरे कदम या अंतिम कदम पर नहीं जा सकते।

सी.

5.6 प्रत्यर्थी-ठेकेदार की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नकुल दीवान ने आगे कहा कि मध्यस्थता के लिए संविदात्मक रूप से निर्धारित पूर्व शर्तों की अनिवार्य और प्रवर्तनीय प्रकृति, जिसका उद्देश्य मध्यस्थता या बातचीत के माध्यम से विवाद का समाधान करना है, को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करने योग्य माना गया है।

डी.

5.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि ई. पी. सी. अनुबंध का खंड 26 प्रकृति में अनिवार्य है, इसलिए किसी भी दावे को अनुबंध तंत्र के विपरीत तरीके से पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ई.

5.8 प्रत्यर्थी-ठेकेदार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नकुल दीवान द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में पक्षों ने खंड 26.1 में "विवाद" शब्द को संविदात्मक रूप से परिभाषित और सीमित किया है।1 ई. पी. सी. अनुबंध का अर्थ है कोई भी विवाद, मतभेद या विवाद "किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप में अधिसूचित"।यह प्रस्तुत किया जाता है कि ई. पी. सी. अनुबंध का खंड 1.1 आगे यह

निर्धारित करता है कि "बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस समझौते में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, यहाँ दिया गया है।

एफ.

जी.

5.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए संविदात्मक रूप से केवल अधिसूचित विवादों को "विवादों" के रूप में परिभाषित करने के लिए सहमत होने के बाद और खंड 26.3 के तहत मध्यस्थता के लिए केवल ऐसे "विवादों" के संदर्भ को सीमित करने के लिए केवल वे जो खंड 26.1 के तहत पक्षों द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं और निर्दिष्ट किए जाते हैं।

एच.

खंड 26.2 के तहत सुलह के लिए, लिखित अनुबंध के विपरीत कोई अन्य व्याख्या नहीं की जानी चाहिए।ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालतें पक्षों के संविदात्मक सौदे को तब तक प्रभावी बनाती हैं जब तक कि ऐसा सौदा क़ानून के विपरीत या सार्वजनिक नीति के खिलाफ न हो, जिनमें से किसी में भी इस मामले में अपवाद का अनुरोध नहीं किया गया है या नहीं किया जा सकता है।

5.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. एच. ए. आई. की ओर से यह निवेदन कि जवाबी दावे ई. पी. सी. अनुबंध की गैरकानूनी समाप्ति से उत्पन्न होते हैं, और यह कि यह "विवाद" की परिभाषा के भीतर आता है और "विवाद" शब्द का व्यापक रूप से ई. पी. सी. अनुबंध की समाप्ति से उत्पन्न होने वाले जवाबी दावों को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए, को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 26.3 में "कोई भी विवाद" शब्दों का उपयोग किया गया है।1 तदनुसार इसका अर्थ केवल उन मामलों के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें खंड 26.1 के तहत सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पक्षों द्वारा अधिसूचित किया गया है।

बी.

सी.

5.11 अब, जहाँ तक अपीलकर्ता-एन. एच. ए. आई. की ओर से यह दावा किया गया है कि समाप्ति के स्तर पर जवाबी दावा करने के साथ-साथ अपना बचाव विवरण दाखिल करने के अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के बाद, यह जवाबी दावा करने का हकदार है और यह

प्रस्तुत करना कि एन. एच. ए. आई. को जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने से बहुलता से बचा जा सकता है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त दावा बिना किसी आधार के है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 26 की अनिवार्य प्रकृति जिसमें एक पक्ष को दूसरे पक्ष को अपने विवाद को स्पष्ट करने और अधिसूचित करने की आवश्यकता होती है, एक ऐसा खंड है जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि केवल वे दावे जिन्हें अधिसूचित किया जाता है, उनका निर्णय लिया जाए।

डी.

ई.

5.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि एनएचएआई का कोई वास्तविक दावा था, तो उसे खंड 26.1 के अनुसार प्रत्यर्थी-ठेकेदार को सूचित करना चाहिए था।1 ई. पी. सी. अनुबंध। एन. एच. ए. आई. ऐसा तब भी कर सकता था जब ठेकेदार ने विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की मांग की थी, जहां उसे अपने जवाबी दावों के निर्णय की मांग करनी चाहिए थी।हालाँकि, इसने ऐसा नहीं किया और इसके बजाय, स्पष्ट रूप से "ठेकेदार द्वारा उठाए गए संदर्भ के तहत विवादों" को संदर्भित करने की मांग की।इस प्रकार, मध्यस्थता के लिए किसी भी जवाबी दावे को संदर्भित करने के अपने अधिकारों को माफ करना।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामला होने के नाते, एनएचएआई को अधिनियम की धारा 23 (2 ए) की घुमावदार व्याख्या के माध्यम से 208 करोड़ रुपये का जवाबी दावा पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

एफ.

जी.

5.13 अब, जहां तक एनएचएआई की ओर से अधिनियम की धारा 23 (2 ए) पर भरोसा किया गया है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि अधिनियम की धारा 23 (2 ए) प्रत्यर्थी के काउंटर ए उठाने के अधिकार को मान्यता देती है।

एच.

961

भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण बनाम ट्रांसस्ट्रॉय (भारत) लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

दावा करते हुए, क़ानून की भाषा स्पष्ट है।धारा 23 (2 ए) के संदर्भ में, न्यायाधिकरण के पास ऐसे जवाबी दावों पर अधिकार क्षेत्र है, "यदि ऐसा जवाबी दावा या समझौता मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है।” 5.13.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी दिए गए मामले में अधिनियम की धारा 23 (2 ए) के तहत निर्धारित मध्यस्थता समझौते के दायरे का

पता मध्यस्थता खंड के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 (1) (बी), 7 और 21 के संयुक्त पठन द्वारा लगाया जाना चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि पक्षकार यह चुनने के लिए पूरी तरह से हकदार हैं कि कौन से विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाते हैं।यही बात पार्टी की स्वायत्तता की मान्यता के अनुरूप है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, पक्षों ने खंड 26.1 के तहत निर्धारित तंत्र के माध्यम से चुना है।1 खंड 26.3 के साथ पढ़ें।1 कि केवल वे विवाद जिन्हें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अधिसूचित किया जाता है और जिन्हें पहले विवाद के शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें खंड 26.2 के तहत "सौहार्दपूर्ण तरीके से हल" नहीं किया जा सकता है, उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए खंड 26.1 के संदर्भ में "विवाद" के रूप में वर्गीकृत किए बिना सीधे न्यायाधिकरण के समक्ष लाया गया जवाबी दावा और वह भी पक्षों के बीच सहमत अनिवार्य पूर्व शर्तों को दरकिनार करके धारा 23 (2 ए) के तहत निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर होगा और इसलिए न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा।5.14 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय दोनों ने एनएचएआई को जवाबी दावा दायर करने की अनुमति नहीं देने में कोई त्रुटि नहीं की है, जिसे खंड 26 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया था।इसलिए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

6. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

एफ.

7. इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त प्रश्न हैः

क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के साथ-साथ मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 23 (2 ए) के तहत एनएचएआई द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने में कोई त्रुटि की है, जो एनएचएआई को जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं देता है?

जी.

8. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, एनएचएआई ने 11.07.2017 पर रक्षा वक्तव्य प्रस्तुत किया जिसमें

एनएचएआई ने हर्जाने का दावा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा और कहा कि वह अपना जवाबी दावा अलग से दायर करेगा और केवल दो दिनों के बाद, यानी 13.07.2017 पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एक पत्र भेजकर जवाबी दावा दायर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की, जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 18.07.2017 पर ई-मेल के माध्यम से खारिज कर दिया।इसके तुरंत बाद, एनएचएआई ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 23 (2 ए) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अपने जवाबी दावे को रिकॉर्ड में रखने के लिए एक आवेदन दायर किया।इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत उपरोक्त मुद्दे/प्रश्न पर विचार किया जाना आवश्यक है।

बी.

9. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते समय, पक्षों के बीच अनुबंध के प्रासंगिक खंडों और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

सी.

10. अनुबंध का खंड 26 विवाद समाधान के संबंध में है।खंड 26.1 से खंड 26.3 तक।1, जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, वे इस प्रकार हैंः-

“ 26.1 विवाद का समाधान

डी.

26.1.1 पार्टियों के बीच इस समझौते (इसकी व्याख्या सहित) के तहत या उससे बाहर या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद, मतभेद या विवाद, और इस तरह किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष ("विवाद") को लिखित रूप में अधिसूचित किया जाएगा, पहली बार में, खंड 26.2 में निर्धारित सुलह प्रक्रिया के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाएगा।

ई.

26.1.2 दोनों पक्ष इस समझौते के तहत या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को तुरंत, समान रूप से और सद्भावना से हल करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत हैं, और आगे किसी भी विवाद से संबंधित सभी गैर-

विशेषाधिकार प्राप्त रिकॉर्ड, जानकारी और डेटा तक सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान एक-दूसरे को उचित पहुंच प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

एफ.

26.2 सुलह पार्टियों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, कोई भी पक्ष प्राधिकरण के इंजीनियर, या ऐसे अन्य व्यक्ति को मध्यस्थता करने और पार्टियों को एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने में सहायता करने के लिए बुला सकता है जिन पर पार्टियां पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती हैं।सुलहकर्ता द्वारा या हस्तक्षेप के बिना मध्यस्थता में विफलता ए

जी.

एच.

963

भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण बनाम ट्रांसस्ट्रॉय (भारत) लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

सुलहकर्ता का, कोई भी पक्ष इस तरह के विवाद को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष और ठेकेदार के निदेशक मंडल के अध्यक्ष को भेजे जाने की अपेक्षा कर सकता है, और इस तरह के संदर्भ पर, उक्त व्यक्ति चर्चा करने और विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करने के लिए संदर्भ की तारीख से 7 (सात) कार्य दिवसों के बाद नहीं मिलेंगे।यदि ऐसी बैठक 7 (सात) कार्य दिवस की अवधि के भीतर नहीं होती है या बैठक के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा नहीं किया जाता है या विवाद का समाधान नहीं किया जाता है जैसा कि खंड 26.1 में निर्दिष्ट लिखित सूचना के 30 (तीस) दिनों के भीतर समझौते की लिखित शर्तों पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट होता है।1 या ऐसी लंबी अवधि जो पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत हो, कोई भी पक्ष खंड 26.3 के प्रावधानों के अनुसार विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज सकता है।

बी.

सी.

26.3 मध्यस्थता

डी.

26.3.“कोई भी विवाद, जिसे खंड 26.1 और 26.2 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं किया जाता है, अंततः निम्नानुसार मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगाः

(i)

विवाद का अंत में मध्यस्थता द्वारा निपटारा किया जाएगा।

ई.

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अनुसार। मध्यस्थ न्यायाधिकरण में 3 मध्यस्थ होंगे, जिनमें से प्रत्येक की नियुक्ति एन. एच. ए. आई. और ठेकेदार द्वारा की जाएगी।तीसरे मध्यस्थ का चयन पार्टियों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों द्वारा किया जाएगा और वह पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।बाद में नियुक्त मध्यस्थ की नियुक्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर आम सहमति पर पहुंचने के लिए पक्षों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों की विफलता के मामले में, पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति भारतीय सड़क कांग्रेस की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

एफ.

जी.

(ख)

इससे पहले की कार्यवाही में कोई भी पक्ष सीमित नहीं होगा।

दूसरे पक्ष/स्वतंत्र सलाहकार के समक्ष साक्ष्य या दलीलों के लिए ऐसा न्यायाधिकरण।

एच.

iii) अनुबंध अवधि के दौरान या उसके बाद मध्यस्थता शुरू की जा सकती है, बशर्ते कि अनुबंध अवधि के दौरान मध्यस्थता किए जाने के कारण एनएचएआई और ठेकेदार के दायित्वों में बदलाव नहीं किया जाएगा।iv) यदि एक पक्ष उपरोक्त उपखंड (1) के अनुसरण में अपने मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहता है, तो दूसरे पक्ष द्वारा अपने मध्यस्थ की नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, भारतीय सड़क कांग्रेस की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे।ऐसी नियुक्ति करने वाले भारतीय सड़क कांग्रेस की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के आदेश की एक प्रमाणित प्रति प्रत्येक पक्ष को प्रस्तुत की जाएगी।

बी.

सी.

v)

मध्यस्थता कार्यवाही दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी और

मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा और सभी दस्तावेजों और पक्षों के बीच संचार की भाषा अंग्रेजी होगी।

डी.

XXXXXXXXXX "

11. 2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा संशोधित मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 23 निम्नानुसार है:-

ई.

“23. दावा और बचाव के बयान।—(1) इस अवधि के भीतर

पक्षकारों द्वारा सहमत या मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित समय के दौरान, दावेदार अपने दावे का समर्थन करने वाले तथ्यों, मुद्दे पर बिंदुओं और मांगी गई राहत या उपाय को बताएगा और प्रत्यर्थी इन विवरणों के संबंध में अपना बचाव बताएगा, जब तक कि पक्षकार उन बयानों के आवश्यक तत्वों के बारे में अन्यथा सहमत न हों।

एफ.

(2) पक्ष अपने बयानों के साथ उन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्हें वे प्रासंगिक मानते हैं या दस्तावेजों या अन्य सबूतों के लिए एक संदर्भ जोड़ सकते हैं जिन्हें वे प्रस्तुत करेंगे।

(2 क) प्रत्यर्थी, अपने मामले के समर्थन में, एक प्रति-दावा भी प्रस्तुत कर सकता है या एक सेट-ऑफ का अनुरोध कर सकता है, जिस पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाएगा, यदि ऐसा प्रति-दावा या सेट-ऑफ मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है।

जी.

(3) जब तक पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, तब तक कोई भी पक्ष पाठ्यक्रम ए के दौरान अपने दावे या बचाव में संशोधन या पूरक कर सकता है।

एच.

ए.

माध्यस्थम कार्यवाहियों का, जब तक कि माध्यस्थम न्यायाधिकरण इसे बनाने में देरी को ध्यान में रखते हुए संशोधन या पूरक की अनुमति देना अनुचित न समझे।

(4) इस धारा के तहत दावा और बचाव का विवरण मध्यस्थ या सभी मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, उनकी नियुक्ति के लिखित नोटिस प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।"

बी.

12. इस प्रकार, उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि खंड 26-विवाद समाधान खंड, अर्थात खंड 26.1 और खंड 26.2, सुलह की प्रकृति के हैं।दोनों पक्षों को विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने का अवसर दिया जाता है और "विवाद" को हल करने के लिए सुलह के माध्यम से प्रयास किए जाने चाहिए और उसके बाद "विवाद", जिसे सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं किया जाता है, को अंततः मध्यस्थता द्वारा निपटाना होगा।उपयोग किए गए शब्द हैं "कोई भी विवाद, मतभेद या विवाद जो भी प्रकृति का हो, चाहे वह पार्टियों के बीच इस समझौते के तहत या उससे या उसके संबंध में उत्पन्न हो"।यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, पक्षों के बीच विवाद का कारण एनएचएआई द्वारा अनुबंध की समाप्ति थी। जहां तक नोटिस की समाप्ति के उक्त विवाद का समाधान अनुबंध समझौते के खंड 26.1 और 26.2 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाना आवश्यक था।यह सच हो सकता है कि किसी दिए गए मामले में, "विवाद" में दावे और/या जवाबी दावे शामिल हो सकते हैं, लेकिन साथ ही, मुख्य विवाद को अनुबंध की समाप्ति कहा जा सकता है, जिसे जैसा कि ऊपर देखा गया है, उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के बाद सुलह के माध्यम से हल करने की आवश्यकता थी।वर्तमान मामले में, ठेकेदार द्वारा एनएचएआई के अध्यक्ष को संबोधित दिनांक 02.01.2017 का संचार निम्नानुसार कहा गया थाः-

सी.

डी.

ई.

"प्राधिकरण की इस एकतरफा कार्रवाई के कारण समझौते के पक्षों के बीच विवाद पैदा हो गया है।चूंकि विवाद पहले ही उत्पन्न हो चुका है, इसलिए यह आवश्यक है कि विवाद को एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अनुबंध समझौते के खंड 26.2 के अनुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष को भेजा जाए।"

एफ.

12.1 यहां तक कि **09.02.2017** दिनांकित मध्यस्थता का आह्वान करने वाले नोटिस में भी**,** यह निम्नानुसार कहा गया हैः**-**

जी.

“हालांकि प्राधिकरण ने अनुबंध समझौते को समाप्त कर दिया है और रुपये की प्रदर्शन बैंक गारंटी का आह्वान किया है। 21.00 करोड़। प्राधिकरण की इस एकतरफा और अवैध कार्रवाई के कारण समझौते के पक्षों के बीच विवाद पैदा हो गया है।

एच.

खंड 26.3 के अनुसार।1 अनुबंध समझौते के अनुसार, "कोई भी विवाद जिसे खंड 26.1 और 26.2 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं किया जाता है, अंततः नीचे दिए गए अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा।"i) विवाद का अंत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटारा किया जाएगा।मध्यस्थ न्यायाधिकरण में 3 मध्यस्थ होंगे, जिनमें से प्रत्येक की नियुक्ति एन. एच. ए. आई. और ठेकेदार द्वारा की जाएगी।तीसरे मध्यस्थ का चयन पार्टियों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों द्वारा किया जाएगा और वह पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।

बी.

ii) तदनुसार हम श्री डी श्री राम मूर्ति को अपने मध्यस्थ के रूप में नामित कर रहे हैं, जिनकी सहमति इसके साथ संलग्न है।हम आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप अपने मध्यस्थ को नामित करें ताकि तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों द्वारा की जाए और वह पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करे।”13. इसलिए, इसके बाद, ठेकेदार के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि जवाबी दावा खंड 26.1 और 26.2 में आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया था और इसलिए, इसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है।खंड 26 की सही और निष्पक्ष व्याख्या पर, विवाद को हल करने में विफलता (वर्तमान मामले में, एनएचएआई द्वारा अनुबंध की समाप्ति), मध्यस्थता कार्यवाही बनाए रखने योग्य होगी।इसका मतलब यह नहीं है कि केवल ठेकेदार की ओर से किए जाने वाले दावे और/या जवाबी दावे पर ही विचार किया जाएगा।

सी.

डी.

ई.

13.1 मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों "दावा", जो एक पक्ष द्वारा किया जा सकता है और "विवाद", जिसकी परिभाषा के अनुसार दो पक्ष हैं, के बीच के अंतर को समझने में विफल रहे हैं।

एफ.

13.2 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने भी काउंटर दावा दायर करने के लिए समय बढ़ाने के लिए एनएचएआई के आवेदन को अस्वीकार करते हुए काउंटर दावा दायर करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन को इस आधार पर नहीं देखा और/या अस्वीकार कर दिया कि उक्त काउंटर दावा अनुबंध समझौते के खंड 26 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना बनाए रखने योग्य नहीं होगा।एन. एच. ए. आई. द्वारा काउंटर दावा दायर करने के लिए समय बढ़ाने के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज करते हुए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 18.07.2017 का आदेश निम्नानुसार हैः- ए.

जी.

एच.

967

भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण बनाम ट्रांसस्ट्रॉय (भारत) लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

“इसमें प्रत्यर्थी के 13 जुलाई, 2017 के पत्र का संदर्भ है, जिसमें प्रतिदावा दाखिल करने के लिए चूने को 4 सप्ताह तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।इस संबंध में ए. टी. को प्रत्यर्थी को याद दिलाना होगा कि आई. डी. 1 पर आयोजित पहली और प्रारंभिक बैठक के समय, पक्षकारों द्वारा अभिवचन दाखिल करने की अनुसूची तय करते समय, ए. टी. ने विशेष रूप से इस तथ्य को प्रत्यर्थी सहित दोनों पक्षों के ध्यान में लाया था, उक्त बैठक के कार्यवृत्त के पैरा 12.0 के अनुसार, कि वर्तमान मध्यस्थता मामला वर्ष 2015 में संशोधित 1996 के अधिनियम के तहत आता है और इसलिए निर्णय एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है और इसलिए ए. टी. द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किसी भी स्थगन या समय विस्तार की मांग किए बिना संकेतित समय सीमा के भीतर किया जाएगा।इसके अलावा एस. ओ. डी. दाखिल करने की अंतिम तिथि प्रत्यर्थी के परामर्श से 30.06.2017 पर या उससे पहले निर्धारित की गई थी।हालाँकि प्रत्यर्थी द्वारा 2 सप्ताह के लिए समय बढ़ाने की मांग के बाद 11.07.2017 पर एस. ओ. डी. दायर किया गया था।ए. टी. ने प्रत्यर्थी को अपना मामला पेश करने का उचित अवसर देने के उद्देश्य से उक्त विस्तार दिया था।अब प्रत्यर्थी प्रतिवाद दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रहा है।

बी.

सी.

डी.

यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि दावेदार ने अपने ईमेल दिनांक 18.07.2017 के माध्यम से, उसमें बताए गए कारणों के लिए प्रतिवाद दाखिल करने के लिए किसी भी समय के विस्तार पर आपत्ति जताई है।

ई.

ए. टी. ने दोनों पक्षों द्वारा सहमत अभिवचन दाखिल करने की प्रक्रिया और अनुसूची को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया है, जैसा कि ए. टी. दिनांकित 20.04.2017 की कार्यवाही और वर्ष 2015 में संशोधित 1996 के अधिनियम में विस्तृत है।

एफ.

ए. टी. का मानना है कि 1996 के संशोधित अधिनियम की उप-धारा 23 (2) और 23 (2 ए) को एक साथ पढ़ने पर यह प्रावधान मिलता है कि प्रत्यर्थी अपने मामले के समर्थन में, ए. टी. द्वारा निर्णय के लिए अपने बचाव के बयान के साथ एक प्रतिवाद भी प्रस्तुत कर सकता है या बचाव का अनुरोध कर सकता है। ए. टी. ने देखा कि प्रत्यर्थी ने रुपये की छूट का अनुरोध किया है। जहां तक प्रतिदावाओं का संबंध है, यह कहा गया है कि प्रतिवादी प्रतिदावा दायर करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।प्रत्यर्थी ने इस तरह के अधिकार को सुरक्षित रखने के संबंध में कोई लागू कानून नहीं कहा है।

जी.

एच.

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, ए. टी. का मानना है कि (i) कार्यवाहियों के दौरान अभिवचन दाखिल करने की प्रक्रिया और अनुसूची ए. टी. द्वारा निर्धारित की गई थी जैसा कि दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी; कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिवाद दाखिल करने के लिए इसमें कोई उल्लेख नहीं है और (ii) पक्षकारों द्वारा और उनके बीच सहमत प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रतिवाद के बिना प्रत्यर्थी द्वारा रक्षा वक्तव्य पहले ही दायर किया जा चुका है, सिवाय इसके कि प्रत्यर्थी ने बाद की तारीख में प्रतिवाद दायर करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। इसके बाद प्रत्यर्थी द्वारा कोई जवाबी दावा दायर करने के लिए कोई आवेदन नहीं है।उपरोक्त

परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी द्वारा जवाबी दावा दायर करने के लिए ए. टी. द्वारा निर्धारित या पक्षों द्वारा सहमत होने की कोई तारीख होने का कोई सवाल ही नहीं है, और यदि जवाबी दावा दायर करने के लिए कोई तारीख तय या सहमत नहीं है, तो इसके विस्तार का सवाल ही पैदा नहीं होता है।इसलिए, ए. टी. आदेश देता है कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए प्रतिवाद को दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध लागू कानून के अनुसार नहीं है और उपरोक्त तथ्यात्मक परिस्थितियों को देखते हुए अप्रासंगिक है।

बी.

सी.

डी.

प्रत्यर्थी द्वारा एस. ओ. डी. दाखिल करने में देरी को देखते हुए, दावेदार अपना प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, आई. डी. 2 पर या उससे पहले दाखिल करेगा और दस्तावेजों को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का विवरण पक्षकारों द्वारा आई. डी. 1 पर या उससे पहले दाखिल किया जाएगा।

ई.

ए. टी. का उपरोक्त निर्णय प्रत्यर्थी को अपने दावों के संबंध में एक और कानूनी उपाय करने से नहीं रोकता है।

उपरोक्त आदेश पीठासीन मध्यस्थ द्वारा ए. टी. के साथ और उसकी ओर से परामर्श करके जारी किया जाता है।

एफ.

13.3 हालाँकि, इसके बाद, जब एनएचएआई ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 23 की उप-धारा (2 ए) के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें दिनांक 1 के आदेश द्वारा अपने जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर रखने की मांग की गई, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने उक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एनएचएआई को जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति देने के आवेदन में, एनएचएआई ने इस तरह के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए प्रयास करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि शुरुआत से ही, एनएचएआई ने नुकसान का दावा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा और यहां तक कि रक्षा वक्तव्य में भी रुपये के इस तरह के सेट ऑफ का दावा किया गया। 13 करोड़ और इसमें यह भी विशेष रूप से कहा गया है कि एनएचएआई ने ए आरक्षित किया है।

जी.

एच.

काउंटर दावा दायर करने का अधिकार।इसलिए, जिन आधारों पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने प्रतिदावे को रिकॉर्ड पर रखने के लिए एनएचएआई के आवेदन को खारिज कर दिया था, उसे पहले सुलह के माध्यम से विवाद (जो एनएचएआई द्वारा अनुबंध को समाप्त करने के लिए था) को हल करने के लिए पक्षों के बीच के इरादे के विपरीत कहा जा सकता है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस तरह की संकीर्ण व्याख्या द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एनएचएआई के जवाबी दावा प्रस्तुत करने के मूल्यवान अधिकार को छीन लिया है, जो कि बहुत बड़ी राशि है, जिससे एनएचएआई के वैधानिक और संविदात्मक अधिकारों पर बातचीत होती है और एक टुकड़ों में और असंबद्ध निर्णय के लिए मार्ग प्रशस्त होता है।

बी.

13.4 जब प्रतिदावा दायर करने का कोई प्रावधान है, जिसे मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 23 में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है, तो प्रतिदावा करने के लिए अपीलार्थी के अधिकार को कम करने या रद्द करने का कोई कारण नहीं है।यदि हम ठेकेदार द्वारा किए गए दावों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही में एनएचएआई द्वारा किए गए जवाबी दावे की अनुमति नहीं देते हैं, तो इससे विभिन्न मंचों के समक्ष समानांतर कार्यवाही हो सकती है।विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पहलू की दृष्टि खो दी है, जिस पर एनएचएआई की ओर से अपने जवाबी दावे को रिकॉर्ड पर रखने के अनुरोध पर विचार करते समय विचार किया जाना चाहिए था।खंड 26.1 और 26.2 की व्याख्या व्यावहारिक और व्यावहारिक तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए आवश्यक है कि पक्षकारों को पहले समझौता करने, समाधान करने और सुलह का प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जब खंड 26.1 और 26.2 के तहत प्रक्रिया वांछित परिणाम देने में विफल रहती है, तो खंड 26.2 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर समझौते के रूप में, विवाद को खंड 26.3 के संदर्भ में मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जा सकता है।एक बार खंड 26.1 के तहत किसी भी विवाद, मतभेद या विवाद को अधिसूचित किए जाने के बाद, जवाबी दावे/स्थगन सहित पूरा विषय मध्यस्थता का विषय बन जाएगा "कोई भी विवाद जो खंड 26.1 और 26.2 में हल नहीं किया गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

13.5 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एनएचएआई की ओर से शुरू में काउंटर दावा दायर करने और/या उसके बाद धारा 23 (2 ए) के तहत आवेदन दायर करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करने में कोई देरी नहीं हुई थी।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि एनएचएआई को काउंटर दावा दायर करने की अनुमति नहीं देने से मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 23 (2 ए) के तहत प्रदान किए गए काउंटर दावा/सेट ऑफ दायर करने की अनुमति देने के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा।उपरोक्त पहलुओं की सराहना किए बिना, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय दिया है

जी.

एच.

970

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 6 एस सी आर।

और आदेश, और खंड 26 की संकीर्ण व्याख्या पर मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34/37 के तहत आवेदन को अस्वीकार करने और एनएचएआई को जवाबी दावा दायर करने की अनुमति नहीं देने में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने में गंभीर त्रुटि हुई है।उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि एन. एच. ए. आई. को जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने से कार्यवाही की बहुलता से बचा जा सकता है।

बी.

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 15.09.2017 द्वारा पारित आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करने और अलग करने के योग्य है और तदनुसार रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।नतीजतन, एनएचएआई द्वारा जवाबी दावा दायर करने की अनुमति देने के लिए प्रस्तुत आवेदन को एतद्द्वारा अनुमति दी जाती है और एनएचएआई को जवाबी दावा दायर करने की अनुमति दी जाती है, जिस पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दावे के विवरण और एनएचएआई द्वारा अपने गुण-दोष पर प्रस्तुत दावे के बचाव के विवरण के साथ विचार करेगा।विवादित आदेशों के कारण होने वाली देरी को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 29 ए के तहत पुरस्कार पारित करने की अवधि की गणना करने के लिए 18.07.2017 से 11.07.2022 के बीच की अवधि को बाहर रखा जाएगा।

सी.

डी.

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

ई.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

एफ.

जी.

एच.